एफ–11012/3/2020–ग्रिवेनशिस/डीडब्लूबीडीएनसी
भारत सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
विमुक्त, धुमंतु एवं अर्द्ध–घुमंतु समदायों का विकास एवं कल्याण बोर्ड
दूसरा तल, दूसरी विंग, पश्चिमी ब्लॉक–8, सैक्टर–1, रामाकृष्णापुरम, नई दिल्ली–110066
दूरभाषः– 011-26712573, 26109063, ईमेल :– dwbdnc-msje@gov.in

दिनांक 15/07/2020

सेवा में

प्रधान सचिव
उत्तर प्रदेश सरकार
लखनउ

विषयः– उत्तर प्रदेश की विमुक्त जातियों को जाति प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने संबंधित।

संदर्भः समाज कल्याण अनुभाग–3 से प्राप्त दिनांक 26/06/2020 के पत्र सं. 157/भा.स./26.3.2020 का प्रसंग लें।

महोदय

उपयुर्क्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि विमुक्त, धुमंतु एवं अर्द्ध–धुमुतु जन–जातियों का राष्ट्रीय आयोग ने अपनी रिपोर्ट 2018 में समर्पित कर दी है। विमुक्त, धुमंतु एवं अर्द्ध–धुमुतु जन–जातियों का राष्ट्रीय आयोग उसके बाद से समाप्त हो चुका है। राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट जो कि भारत सरकार की वेबसाईट पर उपलब्ध है उसकी एक प्रति पूर्व में दिनांक 29/05/2020 के समसंख्यक पत्र के साथ आपको ईमेल पर भेजी जा चुकी है।

2. इस रिपोर्ट के सूची 1ए, 2ए और 3ए में उन जन–जातियों की सूची है जिन पर राज्य सरकार द्वारा इन विमुक्त, धुमंतु एवं अर्द्ध–घुमंतु जन–जातियों के राज्य की सूची में होने की राष्ट्रीय विमुक्त, घुमंतु एवं अर्द्ध–घुमंतु जन–जातियों आयोग, भारत सरकार (इदाते आयोग) को सहमति दी गयी थी। आयोग ने विमुक्त, धुमंतु एवं अर्द्ध घुमंतु जन–जातियों को चिन्हित कर उनकी प्रांतवार सूची तैयार की है। इदाते आयोग की रिपोर्ट के लिंक को हमने अपने उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 29 मई 2020 के साथ संलग्न कर भेज दिया है। रिपोर्ट पर दी गयी कन्फर्म्ड लिस्ट 1ए में उत्तर प्रदेश राज्य की 29 विमुक्त जन–जातियों की सूची दी हुई है। अतः उक्त 29 विमुक्त जन–जातियॉं जो पहले से ही उत्तर प्रदेश राज्य की विमुक्त जनजातियों की सूची में शामिल हैं, इसलिए इस पर परामर्श/मार्ग दर्शन प्राप्त करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

Scanned with OKEN Scanner

3. ज्ञात हो कि केवल वे समुदाय (जातियॉ एवं जन–जातियॉ) विमुक्त जन–जातियॉ (De-notified Tribes) हैं, जिन्हें ब्रिटिश शासन के अधिनियम, किमिनल ट्राईब्स एक्ट (Criminal Tribe Act 1871) के तहत किसी भी प्रांत में क्रिमिनल ट्राईब्स घोषित किया था। आजादी के बाद भारत सरकार द्वारा क्रिमिनल ट्राईब्ए एक्ट समाप्त करने के कारण उन्हें De-notified Tribes (विमुक्त जन–जाति) कहा जाने लगा। अतएव स्पष्ट है कि न तो किसी ऐसी जाति को विमुक्त जन–जाति की सूची में शामिल किया जा सकता है, जिसे पूर्व में क्रिमिनल ट्राईब्स घोषित न किया गया हो, और न ही ऐसी जाति को विमुक्त जाति की सूची से हटाया जा सकता है, जो पूर्व में किमिनल ट्राईब्स घोषित की गई हो। तदनुसार राज्य सरकार इस पर निर्णय ले सकती है।

4. राज्य सरकारें यदि कोई जन–जाति विमुक्त जन–जाति होने के साथ ही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति/अन्य पिछडी जाति है तो ऐसी जन–जाति को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति/अन्य पिछडी जाति प्रमाण–पत्र के साथ–साथ विमुक्त जन–जाति का प्रमाण–पत्र राज्य सरकारे भी देती है। डॉ. बी.के. लोधी और श्री मोहित तंवर के प्रतिवेदन से संज्ञान में लाया गया हे कि उत्तर प्रदेश शासन ओ.बी.सी. में शामिल विमुक्त जातियों को दो जाति प्रमाण–पत्र जारी करता है, एक ओ.बी.सी. का तथा दूसरा विमुक्त जाति का।

5. अतः उपरोक्त के आलोक में पुनः अनुरोध है कि राज्य सरकार श्री मोहित तंवर तथा इस कार्यालय के दिनांक 29/05/2020 के समसंख्यक पत्र/ईमेल से भेजे जा चुके डॉ. बी.के. लोधी के प्रतिवेदन जोकि स्वतः स्पष्ट है पर सम्यक रूप से विचार करते हुए यथाशीघ्र कार्रवाई करने की कृपा करें।

भवदीय

15/7/2020

(राजेश कुमार सिन्हा)
अवर सचिव भारत सरकार

Scanned with OKEN Scanner